8. मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना

9. विवादों का वैकल्पिक समाधान –

अ. लोक अदालत योजना अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009

ब. मध्यस्थता

10. मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015

11. पैरालीगल वालेंटियर्स संशोधित योजना

12. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएँ) विनियम 2010

13. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लीगल एड क्लीनिक्स) विनियम 2011

14. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विश्वविद्यालयों, विधि माहविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं में विधिक सेवा क्लीनिक्स) योजना, 2013।

15. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना।

16. विधिक सेवा प्राधिकरण (तस्करी और वाणिज्यिक शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015।

17. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विधिक सेवाएं) योजना, 2015।

18. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों को मैत्रीपूर्ण एवं उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015।

19. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015।

20. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015।

21. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के विधिक सेवाएँ) योजना, 2015।

22. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015।

23. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा किशोर न्याय संस्थाओं में विधिक सेवाओं के लिए मार्गदर्शन।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)

0761-2678352, 2624131

Peace and justice are two sides of the same coin.

Dwight D. Eisenhower

National Free Legal Helpline : 15100

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन

NATIONAL LEGAL LITERACY MISSION

कानूनी सेवाएँ

Justice for All

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

(National Legal Services Authority-NALSA)

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39क समाज के गरीब और कमजोर वर्गो के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है । संविधान का अनुच्छेद 14 और 22 (1) राज्य के लिए यह अनिवार्य करता है कि वह कानून के समक्ष समानता और एक ऐसी कानूनी व्यवस्था को सुनिश्चित करे, जो सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय उपलब्ध कराये। समाज के कमजोर वर्गो के लिए स्वतंत्र और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, जिसे 1987 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसे एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के लिए 9 नवंबर 1993 को प्रभाव में लाया गया। जिसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) राष्ट्रीय स्तर पर गठित किया गया।

There is a higher court than courts of justice and that is the court of conscience. It supercedes all other courts.

Mahatma Gandhi

हमारा दृष्टिकोण :– कमजोर वर्गो और वंचित वर्गो को निष्पक्ष और सार्थक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देना ।

हमारा लक्ष्य :– कानूनी तौर पर समाज के कमजोर और बहिष्कृत समूहों को सशक्त करने के लिए प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना, कानूनी साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा कानूनी तौर पर उपलब्ध लाभ और हकदार लाभार्थियों के बीच की खाई को कम करना।

लोक अदालत की प्रणाली और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना जिससे की समाज के गरीब और वंचित वर्गो को विवादों के अनौपचारिक त्वरित और सस्ता समाधान प्रदान किया जा सके और न्यायपालिका पर अधिनिर्णय के अधिक बोझ को कम करना ।

भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के प्रमुख संरक्षक है । सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं । केंद्र सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायिक सेवा के एक अधिकारी को सदस्य सचिव नियुक्त किया है ।

सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति का गठन प्रशासन और कानूनी सेवाओं के कार्यक्रम, जहाँ तक यह भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, को लागू करने के लिए हुआ है ।

हर राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण **(SLSA)** का गठन किया गया है जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रमुख संरक्षक और उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष है । प्रत्येक **SLSA** के लिए एक सदस्य सचिव हैं ।

इसी प्रकार, प्रत्येक उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है जिसके सचिव एक न्यायिक अधिकारी हैं ।

जिला स्तर पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसमें जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और न्यायिक अधिकारी सचिव है ।

इसी तरह, तालुका स्तर पर नीतियों और निर्देशों को प्रभाव देने के लिए, तालुका विधिक सेवा समिति गठित की गई है ।

विधिक सेवा संस्थाओं की कार्य प्रणाली

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण देश भर में लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धांतों, दिशा निर्देशों और प्रभावी किफायती योजनायें बनाता है

प्रथमतः, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तालुक विधिक सेवा समितियों वगैरह को मुख्य रूप से, निम्नलिखित मुख्य कार्यो का निर्वहन करने के लिए कहा गया है :

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.

Martin Luther King, Jr.

National Free Legal Helpline : 15100

- पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना:
- विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करना:
- समाज के कमजोर और वंचित वर्गो के अधिकारों के बारे में कानूनी जागरूकता के लिए कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना:
- नालसा की योजनाओं और नीति निर्देशों को सामरिक और निवारक कानूनी सेवा कार्यक्रम द्वारा लागू करना ।

मुफ्त कानूनी सेवाएँ–

निःशुल्क कानूनी सेवाओं का तात्पर्य है उन गरीब और कमजोर वर्ग के लोगो को दीवानी और फौजदारी मामलों में, किसी भी अदालत की कानूनी कार्यवाही में या न्यायाधिकरण में या एक प्राधिकरण के समक्ष, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है ।

निःशुल्क कानूनी सेवाओं में लाभार्थियों को सहायता और सलाह के प्रावधान भी शामिल है जिससे वे कल्याण योजनाओं और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का उपयोग कर सके और किसी भी अन्य तरीके से न्याय तक पहुँच सुनिश्चित कर सके।

कानूनी सेवाओं के इन्कार के लिए कहाँ अपील दायर की जा सकती है ?

एक उचित समय के भीतर कानूनी सेवाओं के अनुदान के इनकार पर प्राधिकरण / समिति के अध्यक्ष को अपील की जा सकती है ।

शिकायत या सुझाव कहाँ दायर किया जा सकता है ?

शिकायत / सुझाव का मुत कानूनी सहायता और सेवाओं के सुधार के प्रावधान के लिए स्वागत है कोई भी शिकायत / सुझाव, सदस्य–सचिव को डाक या ईमेल द्वारा भेजा या संबोधित किया जा सकता है या संबंधित प्राधिकरण के ऑफिस कार्यालयों में रखे शिकायत बक्सों में जमा किया जा सकता है ।

राष्ट्रीय एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विनियम एवं संचालित योजनाएं:

1. निःशुल्क विधिक सहायता योजना
2. विधिक साक्षरता शिविर योजना
3. विवाद विहीन ग्राम योजना
4. जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना
5. पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र
6. श्रमिकों के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ
7. महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई

In matters of truth and justice, there is no difference between large and small problems, for issues concerning the treatment of people are all the same.

Albert Einstein